संख्या- 177/एक-10-2024/33(03)24

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2024

विषयः- प्रदेश के अवशेष 48 जनपदों में राज्य आपदा मोचक निधि से आपदा मित्र परियोजना संचालित/क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल रू0 23,76,00,000/- की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 736/पी0सी0टी0/ प्रशि०-आपदा मित्र/2023-24 दिनांक 16.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अवशेष 48 जनपदों में दो चरणों में (24-24 जनपदों में) समान रूप से 100-100 स्वयंसेवकों/वालेन्टियर्स को आपदा मित्र के रूप में नियमानुसार चयनित करते हुए कुल 4800 आपदा मित्रों (स्वयं सेवकों) को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित आपदा मित्र परियोजना के अनुसार आपदा मित्रों के प्रशिक्षण पर एन0डी0एम0ए0 द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की जो धनराशि निर्धारित की गयी है, के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने एवं आवश्यक किट उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 23,76,00,000/- की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित आपदा मित्र परियोजना के अन्तर्गत 27 जनपदों में आपदा मित्रों का चयन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 27 जनपदों में कुल 10,600 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करते हुए आवश्यक किट, आई0कार्ड, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जा चुकी है। उक्त के अनुरूप प्रदेश के अवशेष 48 जनपदों में दो चरणों में 24-24 जनपदों में 100-100 स्वयं सेवक/वालेन्टियर का चयन करते हुए कुल 4800 आपदा मित्रों को एन0डी0एम0ए0 के मानक एवं अनिवार्य अहर्ताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिन जनपदों में उक्त योजना का संचालन किया जाना है, उनका विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवशेष 48 जनपदों में दो चरणों में समान रूप से 100-100 की दर से कुल 4800 स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध

प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें आपदा मित्र का 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर इमरजेन्सी रेस्पान्डर किट एवं इमरजेन्सी असेन्सियल रिसोर्स रिजर्व किट उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न तालिका-1 व 2 के विवरण के अनुसार एवं शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रू0 23,76,00,000/-की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

तालिका-1

क्र .सं .	विवरण	दर	आपदा मित्रों की संख्या	योग (धनराशि रुपये में)
1	प्रशिक्षण सम्बंधित सामग्री , आई कार्ड एवं प्रमाण -पत्र आदि	1,500/-	4,800	72,00,000/-
2	12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (12 दिन X रु .1500/-प्रतिदिन =18,000/-	18,000/-	4,800	8,64,00,000/-
3	इमरजेन्सी रिस्पान्डर किट एवं जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम	10,000/-	4,800	4,80,00,000/-
योग		29,500/-	4,800	14,16,00,000/-
(रुपये चौदह करोड़ सोलह लाख मात्र)				

तालिका-2

क्र .सं .	विवरण	दर	योग)धनराशि रुपये में (
1	Emergency Essential Resource Reserve Kit	20,00,000/-	9,60,00,000/-
	योग		9,60,00,000/-
	(रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र)		

नियम व शर्ते / प्रतिबंधों

1. प्रदेश के अवशेष 48 जनपदों में दो चरणों में 24-24 जनपदों में 100-100 स्वयं सेवक/वालेन्टियर का चयन करते हुए कुल 4800 आपदा मित्रों को एन0डी0एम0ए0 के मानक एवं अनिवार्य अहर्ताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2. प्रदेश स्तर पर अवशेष 48 जनपदों में आपदा मित्र परियोजना संचालित / क्रियान्वित किये जाने की अनुमानित अवधि 09 माह होगी। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 24 जनपदों के कुल 2400 वॉलन्टियर्स हेतु माह जनवरी 2024 से माह मार्च 2024 तक 04 बैचों में तथा द्वितीय चरण में 24 जनपदों के कुल 2400 वॉलन्टियर्स हेतु माह मई 2024 से माह जुलाई 2024 तक 04 बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त छूटे हुए वॉलन्टियर्स हेतु एक अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण बैच का संचालन माह अगस्त 2024 में किया जाएगा। इस प्रकार कुल 09 प्रशिक्षण बैचों का संचालन राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र० द्वारा किया जाएगा।

3. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य नियमानुसार कराया जायेगा तथा इमरजेन्सी किट आदि का क्रय ई-टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा एवं प्रशिक्षण सामग्री तथा अन्य व्ययों के संबंध में वित्तीय नियमों जेम पोर्टल तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका / बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

5. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाईन दिनांक 12.01.2022 एवं 22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

6. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

7. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

10. ई-टेण्डरिंग / जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

11. उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों से सम्नव्य करते हुए आपदा मित्र का चयन करके तैयार कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यक्रम समयबद्ध रूप से कराया जायेगा तथा इसका फीडबैक समय-समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 23,76,00,000/- (रुपये तेईस करोड़ छियत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245- 05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2 /2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्याः-177 (1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम / आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज

2 स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर, प्रदेश द्वारा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण।

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०

7- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी, उ0प्र0

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
S.No	District Name	S.No	District Name
1	Fatehpur	1	Etawah
2	Barabanki	2	Kannauj
3	Sitapur	3	Budaun
4	Mirzapur	4	Mainpuri
5	Hardoi	5	Chandauli
6	Unnao	6	Mau
7	Azamgarh	7	Basti
8	Lalitpur	8	Chitrakoot
9	Pratapgarh	9	Auraiya
10	Gonda	10	Etah
11	Kaushambi	11	Agra
12	Raebareli	12	Jhansi
13	Kanpur Dehat	13	Muzaffarnagar
14	Banda	14	Kanpur Nagar
15	Ayodhya	15	Aligarh
16	Pilibhit	16	Jalaun
17	Hamirpur	17	Kasganj
18	Amethi	18	Bijnor
19	Jaunpur	19	Mathura
20	Sultanpur	20	Hathras
21	Ambedkar Nagar	21	Sambhal
22	Farrukhabad	22	Bhadohi
23	Shahjahanpur	23	Gautam Buddha Nagar
24	Firozabad	24	Hapur

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-31/01/2024

प्रेषण संख्या:- 177
आवंटन आदेश संख्या:- 001-177
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	237600000 1029830369	237600000 1029830369
	योग	वर्तमान प्रगामी	237600000 1029830369	237600000 1029830369

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ छिहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब दो करोड़ अठानवे लाख तीस हजार तीन सौ उनहत्तर

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन